न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या 155 / 2020
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2020 / 00197

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रवणदास, उचित मूल्य दुकानदार ढेहरी तहसील जायल जिला नागौर, राजस्थान		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कडवा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामजीवण बेनिवाल।

निर्णय **दिनांक–** 20/9/21

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 83 / 2020 राजस्थान सरकार बनाम श्रवणदास उ.मू.दु. ढेहरी में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2020 के विरूद्ध यह अपील एवं मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश की, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट श्रवणदास उचित मूल्य दुकानदार ढेहरी तहसील जायल जिला नागौर के विरूद्ध एक विभागीय प्रकरण संख्या 83 / 2020 दर्ज कर पेशी दिनांक 13.07.2020 को अपीलांट को कारण बताओ नोटिस क्रमांक रसद / अभि. / 2020 / 1356 जारी किया गया तथा लापरवाही बरतने एंव प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन किये जाने की अनियमितता पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की एक पक्षीय सूचना दे दी व उक्त उचित मूल्य दुकान का चार्ज उचित मूल्य दुकानदार राधाकिशन को दिनांक 16.07.2020 को दिया गया व प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 07.08.2020 को नियत की गई। जिस दिन अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व अपना जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.10.2020 नियत की गई। रेस्पोडेन्ट ने अन्य मनगढत तथ्य दर्ज कर बिना साक्ष्य सबूत और सुनावाई का मौका प्रदान किये तथा अपीलांट के वास्तविक तथ्यों को मनगढत कहानी बताकर अपने आदेश दिनांक 12.10.2020 के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र शर्त संख्या 2, 9, 11 व 18 का उल्लंघन गलत ... निरस्त कर दिया और जमासुदा प्रतिभूति 1000/– रूपये जब्त करते हुए गबन की ... राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही का आदेश पारित किया। जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं रही ... हाल ही में सूचना ... पर अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

को सर्वप्रथम आदेश जेर अपील की जानकारी हुई जिस पर अपीलांट ने नकले प्राप्त की व नकल दिनांक 18.11.2020 को मिलने पर अविलम्ब यह अपील पेश की है, जो अन्दर मियाद होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ में निर्णय जैर अपील की सूचना प्राप्त होने के संबंध में किये गये कथनों पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का मैरिट पर निर्णय किया जाना उचित है।

3. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया कि अपीलांट श्रवणदास उचित मूल्य दुकानदार ढेहरी तहसील जायल जिला नागौर के विरूद्ध एक विभागीय प्रकरण संख्या 83 / 2020 दर्ज कर पेशी दिनांक 13.07.2020 को अपीलांट को कारण बताओं नोटिस क्रमांक रसद / अभि. / 2020 / 1356 जारी किया गया तथा लापरवाही बरतने एंव प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन किये जाने की अनियमितता पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निलम्बित करने की एकपक्षीय सूचना दे दी व उक्त उचित मूल्य दुकान का चार्ज उचित मूल्य दुकानदार राधाकिशन को दिनांक 16.07.2020 को दिया गया व प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 07.08.2020 को नियत की गई। जिस दिन अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व अपना जवाब प्रस्तुत किया, जस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.10.2020 नियत की गई। रेस्पोडेन्ट ने अन्य मनगढत तथ्य दर्ज कर बिना साक्ष्य सबूत और सुनवाई का मौका दिये तथा अपीलांट के वास्तविक तथ्यों को मनगढत कहानी बताकर अपने आदेश दिनांक 12.10.2020 के द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र शर्त संख्या 2, 9, 11 व 18 का उल्लंघन गलत मानकर निरस्त कर दिया और जमासुदा प्रतिभूति 1000 / — रूपये जब्त करते हुए गबन की गई राशन सामग्री पीडीआर एक्ट के तहत् नियमानुसार वसूली की कार्यवाही का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3(1)—निर्णय जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का कोई समुचित व पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, कागजी तौर पर तथ्य मिथ्या अंकन किये गये है, जो माने जाने योग्य नहीं है जिससे निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। माह जून 2020 में उचित मूल्य की दुकान ढेहरी में राज्य सरकार द्वारा देय गेहूं वितरण नहीं हो पाया, रेग्यूलर गेहूं वितरण नहीं हो पाया, केन्द्र सरकार का गेहूं अतिरिक्त आंवटन ही वितरण हो पाया। दिनांक 05.06.2020 से बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही गेहूं वितरण करना था, तो अपीलांट ने दिनांक 06.06.2020 को मशीन चालू कर राशन कार्ड लगाया तो फिंगर प्रिन्ट का सेंसर खराब पाया गया, पहले तो अप्रेल व मई में फिंगर की जरूरत नहीं था, जून माह में फिंगर से वितरण करना था, तो मशीन में जून में अंगूठा (फिंगर) लगाया तो उसमें खराबी का पता चला तो मिस्त्री को फोन किया, जिस पर उसने बताया कि अभी मै यहां नहीं हूं, बाद में ठीक करूंगा, नागौर आने के बाद अपीलांट उसकी प्रतीक्षा में दिनांक 06 से 13 जून तक रहा, मशी[illegible] (प्रवासी व विशेष श्रेणी) का गेहूं आ गया तो उनकी अंतिम तिथि 17.06.2020 [illegible] इस [illegible] उनका वितरण जरूरी था, अन्यथा प्रवासी वंचित रह सकते थे, मिस्त्री ने भी आग्रह [illegible] कि पहले प्रवासियों को बांटो, उसमें फिंगर की जरूरत नहीं है, [illegible] अपीलांट ने दिनांक 14.06.2020 को 250 किलोग्राम, दिनांक [illegible] दिनांक 16.06.2020 को 2270 किलोग्राम, दिनांक 17.06.2020 को 630 किलोग्राम वितरण करने के बाद दिनांक 18.06.2020 को पोश मशीन ठीक करने को मिस्त्री से कहा, तो उसने अपीलांट से कहा कि तीन दिन में नागौर

कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

आउंगा और मशीन ठीक कर दूंगा। दिनांक 21.06.2020 को मशीन ठीक करने का कहा, तो दिनांक 23.06.2020 को मिस्त्री ने मशीन ठीक कर दी, दिनांक 23.06.2020 को अपीलांट ने ट्रांजेक्शन किया, तो सही फिंगर प्रिन्ट मिला और 15 किलोग्राम का वितरण हुआ, दिनांक 24.06.2020 को 3240 किलोग्राम वितरण किया गया एंव दिनांक 25.06.2020 को राज्य सरकार के गेहूं का वितरण रोका गया, जिसकी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई थी, दिनांक 25.06.2020 को राज्य सरकार का गेहूं रोक दिया गया था, दिनांक 26.06.2020 को अप्रेल व मई में अतिरिक्त स्टॉक 2030 किलोग्राम आया हुआ था, तो वह गेहूं दिनांक 26.06.2020 को 1460 किलोग्राम वितरण कर दिया गया, बाद में जून माह में रेग्यूलर का कुल गेहूं 3265 किलोग्राम ही वितरण हो गया था। जून माह में 11546 किलोग्राम रेग्यूलर गेहूं आया। इस प्रकार 11546 – 3265 = 8281 किलोग्राम शेष रहा, कुछ उपभोक्ताओं के तो 1460 किलोग्राम मिल गया, जो शेष रहा, इसी कारण उपभोक्ताओं को वंचित रहना पडा। इस प्रकार मशीन की गडबडी व कोविड–19 के चलते देशव्यापी तालाबंदी के चलते स्टॉक शेष रह गया, जो अपीलांट के पास सुरक्षित रहा, जिससे उपर्युक्त सभी आरोप एकतरफा मिथ्या होना प्रमाणित है।

3(2)—कभी भी किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत माल के कम तोलने अथवा उपलब्ध नहीं करवाने के संबंध में कभी भी नहीं की है, इसके बावजूद भी गबन जैसे गम्भीर आरोप लगाकर और उसकी जांच नहीं की जाकर सामग्री की पीडीआर एक्ट के तहत् वसूली की कार्यवाही के आदेश देना खिलाफ कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर के प्रकरण संख्या 83/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2020 को निरस्त किये जाने व अपीलांट के प्राधिकार पत्र को पूर्ववत रिस्टोर किये जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

4. प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी जायल द्वारा अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा बरती जा रही अनियमिताओं के संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.07.2020 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 83/2020 राजस्थान सरकार बनाम श्री श्रवणदास उ0मू0दु0 ढेहरी तहसील जायल दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.07.2020 को जारी किया, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 07.08.2020 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया एवं तत्पश्चात आगामी तारीख पेशियों पर अपीलान्ट के अनुपस्थित रहा है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमासुदा प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त की जाकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है।

4(1)—अपीलान्ट को बार–बार वितरण करने हेतु निर्देशित करने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा माह जून 2020 में नियमित गेहॅू का उपभोक्ताओं में वितरण नहीं किया। अपीलान्ट का प्रतिमाह वितरण का औसत 13500 किलोग्राम है। जबकि अपीलान्ट द्वारा माह जून 2020 में 3265 किलोग्राम का ही वितरण किया एवं माह जून 2020 का गेहॅू अब पोश मशीन से वितरण नहीं किया जा सकता। इसलिए माह जून 2020 में उपभोक्ताओं को गेहॅू से वंचित रहना पड़ा। उक्त आरोप के संबंध में अपीलान्ट ने अपने जबाब में कथन किया कि दिनांक 05.06.2020 से बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही गेहॅू वितरण करना था। दिनांक 06.06.2020 को मशीन चालु कर राशन कार्ड ल[illegible] फिंगर प्रिन्ट का सेंसर खराब पाया गया। अप्रेल व मई में फिंगर की जरूरत नहीं [illegible] से वितरण करना था तो मशीन में अंगूठा (फिंगर) [illegible] तो उसमें ख[illegible] का पता चला तो मिस्त्री को फोन किया तो उसने कहा कि अभी [illegible] ठीक करूंगा नागौर आने के बाद उनकी प्रतीक्षा में 6 से 13 जून तक ठीक नहीं [illegible] और बाद में (प्रवासी व विशेष श्रेणी) का गेहॅू आ गया, उनकी लास्ट डेट 17.06.2020 थी इसलिए उनका वितरण जरूरी था नही तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर,नागौर

प्रवासी वंचित रह सकते थे। मिस्त्री ने उसे बोला पहले प्रवासियों को बांटो उसमें फिंगर की जरूरत नहीं है, ओटीपी से बंटेगा तो दिनांक 14.06.2020– 250के.जी., दिनांक 15.06.2020–690 के.जी. दिनांक 16.06.2020–2270 के.जी., दिनांक 17.06.2020–630 के.जी. वितरण करने के बाद दिनांक 18.06.2020 को मशीन ठीक करने को कहा तो मिस्त्री ने कहा की तीन दिन में नागौर आउंगा और मशीन ठीक कर दूंगा। दिनांक 21.06.2020 को मशीन ठी करने को कहा एवं दिनांक 23.06.2020 को मिस्त्री ने मशीन ठीक कर दी दिनांक 23.06.2020 को ट्रान्जक्शन किया तो सही फिंगर प्रिंट मिला और 15 के.जी. का ट्रांजक्शन किया। दिनांक 24.06.2020 को 3240 के.जी. वितरण किया एवं दिनांक 25.06.2020 को राज्य सरकार के गेहूँ का ट्रांजक्शन रोक दिया था दिनांक 26.06.2020 को अप्रेल व अतिरिक्त स्टॉक 2030 के.जी. आया हुआ था तो वह गेहूँ दिनांक 26.06.2020 को 1460 के.जी. वितरण कर दिया गया। जून माह में रेगूलर का कुल 3265 के.जी. ही वितरण हो पाया। जून माह में 11546 के.जी. रेगुलर गेहूँ आया 11546–3265=8281 शेष रहा कुछ उपभोक्ताओं के तो 1460 के.जी. मिल गया जो शेष रहा इसी कारण उपभोक्ताओं को वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार मशीन की गड़बड़ी व लॉकडाउन के कारण स्टाक शेष रह गया जो अपीलान्ट ने अपने पास सुरक्षित पड़ा होना बताया। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील में भी उक्तानुसार ही कथन किये है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार राशन सामग्री का वितरण हेतु प्रत्येक माह की 01 से 15 तारीख निर्धारित है, परन्तु कोविड–19 महामारी लोकडाउन के दौरान पूरे माह में राशन वितरण किये जाने के निर्देश है, जिसकी अपीलान्ट ने मनमाने ढ़ग से जानबूझ कर दिनांक 23.06.2020 से वितरण किया जबकि बिना बायोमेट्रिक मशीन से 01 तारीख से ही वितरण शुरू किया होता तो सभी उपभोक्ताओं को गेहूँ मिल सकता था। परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा नहीं करने के कारण 10183 किलोग्राम गेहूं का वितरण नहीं होने से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों को राशन के गेहूँ से वंचित रहना पड़ा है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पोश मशीन खराब होने के संबंध में न तो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को बताया और न ही जिला रसद कार्यालय नागौर में सूचित किया। इससे स्पष्ट की पोश मशीन खराब होने बाबत अपीलान्ट का कथन मनगढ़त है। अपीलान्ट को माह जून 2020 हेतु 13448 किलोग्राम गेहूँ खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थियों को वितरण हेतु आपूर्ति किया गया था, जो अपीलान्ट ने अपनी पोश मशीन नम्बर 13970 में दर्ज किया जिसमें से 3265 किलोग्राम गेहूँ का ही वितरण किया। अपीलान्ट ने खाद्य सुरक्षा योजना से प्राप्त लाभार्थियों का कुल 10183 किलोग्राम गेहूँ का वितरण नहीं कर कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान गेहूँ से वंचित रखा। इस प्रकार अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप सही पाये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि अनुसार सही होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

5. वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी जायल द्वारा अपीलान्ट द्वारा बरती जा रही अनियमिताओं के संबंध में जिला रसद अधिकारी नागौर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 83/2020 राजस्थान सरकार बनाम श्री श्रवणदास उ0मू0दु0 ढेहरी तहसील जायल दर्ज कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 07.08.2020 को जबाब प्रस्तुत किया एवं तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी 11.09.2020, 06.10.2020 एवं दिनांक 12.10.2020 को अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर दिनांक 12.10.2020 को [illegible] पारित कर अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र के तहत जमासुदा प्रतिभूति रा[illegible]000/– जब्त की जाकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया [illegible] अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब, साक्ष्य, सुनवाई का प[illegible] अवसर दिया [illegible] निर्णय जैर अपील पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

5(1)–अपीलान्ट पर आरोप रहा कि अपीलान्ट को बार–बार वितरण करने हेतु निर्देशित करने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा माह जून 2020 में नियमित गेहूँ का उपभोक्ताओं में वितरण नहीं किया। अपीलान्ट का प्रतिमाह वितरण का औसत 13500 किलोग्राम है। जबकि अपीलान्ट द्वारा माह जून 2020 में 3265 किलोग्राम का ही वितरण किया एवं माह जून 2020 का गेहूँ अब पोश मशीन से वितरण नहीं किया जा सकता। इसलिए माह जून 2020 में उपभोक्ताओं को गेहूँ से वंचित रहना पड़ा। उक्त आरोप के संबंध में अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब में कथन किया कि दिनांक 05.06.2020 से बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही गेहूँ वितरण करना था। दिनांक 06.06.2020 को मशीन चालु कर राशन कार्ड लगाया तो फिंगर प्रिन्ट का सेंसर खराब पाया गया। अप्रेल व मई में फिंगर की जरूरत नहीं थी। जून माह में फिंगर से वितरण करना था तो मशीन में अंगूठा (फिंगर) लगाया तो उसमें खराबी का पता चला तो मिस्त्री को फोन किया तो उसने कहा कि अभी में यहां नहीं हूँ और बाद में ठीक करूंगा नागौर आने के बाद उनकी प्रतीक्षा में 6 से 13 जून तक ठीक नहीं हुई और बाद में (प्रवासी व विशेष श्रेणी) का गेहूँ आ गया, उनकी लास्ट डेट 17.06.2020 थी इसलिए उनका वितरण जरूरी था नही तो प्रवासी वंचित रह सकते थे। मिस्त्री ने उसे बोला पहले प्रवासियों को बांटो उसमें फिंगर की जरूरत नहीं है, ओटीपी से बंटेगा तो दिनांक 14.06.2020– 250के.जी., दिनांक 15.06.2020–690 के.जी. दिनांक 16.06.2020–2270 के.जी., दिनांक 17.06.2020–630 के.जी. वितरण करने के बाद दिनांक 18.06.2020 को मशीन ठीक करने को कहा तो मिस्त्री ने कहा की तीन दिन में नागौर आउंगा और मशीन ठीक कर दूंगा। दिनांक 21.06.2020 को मशीन ठीक करने को कहा एवं दिनांक 23.06.2020 को मिस्त्री ने मशीन ठीक कर दी दिनांक 23.06.2020 को ट्रान्जक्शन किया तो सही फिंगर प्रिंट मिला और 15 के.जी. का ट्रांजक्शन किया। दिनांक 24.06.2020 को 3240 के.जी. वितरण किया एवं दिनांक 25.06.2020 को राज्य सरकार के गेहूँ का ट्रांजक्शन रोक दिया था दिनांक 26.06.2020 को अप्रेल व अतिरिक्त स्टॉक 2030 के.जी. आया हुआ था तो वह गेहूँ दिनांक 26.06.2020 को 1460 के.जी. वितरण कर दिया गया। जून माह में रेगूलर का कुल 3265 के.जी. ही वितरण हो पाया। जून माह में 11546 के.जी. रेगुलर गेहूँ आया 11546–3265=8281 शेष रहा कुछ उपभोक्ताओं के तो 1460 के.जी. मिल गया जो शेष रहा इसी कारण उपभोक्ताओं को वंचित रहना पड़ा। इस प्रकार मशीन की गड़बड़ी व लॉकडाउन के कारण स्टाक शेष रह गया जो अपीलान्ट ने अपने पास सुरक्षित पड़ा होना बताया। अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार आरोप के संबंध में हस्तगत अपील में भी उक्तानुसार ही कथन किये है। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील में उल्लेखित किया है कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार राशन सामग्री का वितरण हेतु प्रत्येक माह की 01 से 15 तारीख निर्धारित है, परन्तु कोविड–19 महामारी लोकडाउन के दौरान पूरे माह में राशन वितरण किये जाने के निर्देश है, जिसकी अपीलान्ट ने मनमाने ढ़ग से जानबूझ कर दिनांक 23.06.2020 से वितरण किया जबकि बिना बायोमेट्रिक मशीन से 01 तारीख से ही वितरण शुरू किया होता तो सभी उपभोक्ताओं को गेहूँ मिल सकता था। परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा नहीं करने के कारण 10183 किलोग्राम गेहूं का वितरण नहीं होने से खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों को राशन के गेहूँ से वंचित रहना पड़ा है। अपीलान्ट द्वारा अपनी पोश मशीन खराब होने के संबंध में न तो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक को बताया और न ही जिला रसद कार्यालय नागौर में सूचित किया। इससे स्पष्ट की पोश मशीन खराब होने बाबत अपीलान्ट का कथन मनगढ़त है। अपीलान्ट को माह जून 2020 हेतु 13448 किलोग्राम गेहूँ खाद्य सुरक्षा प्राप्त लाभार्थियों को वितरण हेतु आपूर्ति किया गया था, जो अपीलान्ट ने अपनी पो[illegible] दर्ज किया जिसमें से 3265 किलोग्राम गेहूँ का ही वितरण किया। अपीलान्ट ने [illegible] सुर[illegible] योजना से प्राप्त लाभार्थियों का कुल 10183 किलोग्राम गेहूँ का [illegible] कोविड–19 जैसी महामारी के दौरान गेहूँ से वंचित रखा। उक्तानुसार तथ्यों के आधार पर [illegible] न्यायालय ने निर्णय अपील पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

किया है, जो विधि सम्मत होने से निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तेक्षप किया जाना उचित नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील को यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7. निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested